न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 29/2021 | अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गोमाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट, निवासी उटल तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. जमनादेवी पत्नी गोमाराम जाति जाट, निवासी उटल तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. लीलादेवी पत्नी मोटाराम 4. माडूदेवी पत्नी भूराराम 5. पूरोंदेवी पत्नी रायमलराम जाति जाट, निवासी सियागपुरा,लीलसर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 6. गनी पुत्र वलीखान 7. हलीमा पत्नी गनीखान जाति मुसलमान, निवासी उटल तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री देवीलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 31.07.2023

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम उटल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 487/335 रकबा 13.00 बीघा प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है, जिसमें प्रार्थी के रहवासी ढाणी, पशुबाड़े एवं पानी का टांका बना हुआ है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 353/2 का भाग थी, जो पक्षकारान् के मध्य विभाजन होने से नये खसरो का सृजन हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 353/2 रकबा 52.00 बीघा में से 39.00 बीघा भूमि का बैचान विप्रार्थी संख्या 3 से 5 को किया गया, जिसमें मौके पर विक्रय पत्र में अंकित पड़ौसान उतर में खसरा नम्बर 353, दक्षिण में खसरा नम्ब्र 216/4, 216/1, पूर्व में प्रार्थी एवं पश्चिम में खसरा नम्बर 352 के बीच कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त विवादित आराजी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर नहीं जाकर नक्शा तैयार करने से मौका स्थिति एवं वर्तमान तरमीम में एकरूपता नहीं है। प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान रेकर्ड के लट्ठा नक्शा की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर तद्नुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर समस्त खातेदारान् व मौतबिरान को सुचित किया जाकर जांच की गई। वर्तमान तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता होने से प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् उपस्थित खातेदारान् एवं मौतबिरान द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार तरमीम दुरस्ती का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा मौका रिपोर्ट में उपस्थित खातेदारान् एंव मौतबिरान द्वारा भी मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की जाकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये गये है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उटल, पटवार मण्डल राजड़ाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 353, 579/353, 562/487, 487/353, 488/353 रकबा क्रमशः 32.00, 4.15, 39.00, 13.00, 23.00 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner